उत्तर रेलवे

संख्या 720 ई /पेंशन अदालत/भाग-11/सैटलमैंट

दिनांक 11/08 /2025

मंडल कार्यालय,

उ०रे०,फिरोज़पुर

कैटेगरी जी /फिरोजपुर मंडल,
मुख्य कारखाना प्रबंधक/अमृतसर,
मंडल इंजीनियर,सहायक मंडल इंजीनियर,
सेक्शन इंजीनियर /फिरोज़पुर
मंडल सचिव / उत्तर रेलवे मैन्स यूनियन /उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन,
मंडल सचिव / अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन/फिरोजपुर मंडल ।,
सचिव सेवा निवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन/लुधियाना,फिरोजपुर,जलंधर,अमृतसर,पठानकोट, जम्मूत्वी ।

विषय :-पेंशन अदालत-2025

सन्दर्भ:-प्रधान कार्यालय का पत्र संख्या 720/पेंशन अदालत-2024/ई-111 निपटान दिनांक 28.07.2025 एवं 31.07.2025

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2025/ ई(डब्ल्यू)/22/01/3 दिनांक 7.7.2025

महाप्रबंधक (कार्मिक)/ प्रधान कार्यालय,बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली के उपयुक्त संदर्भित पत्र दिनांक 31.7.2025 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 15.12.2025 को मंडल कार्यालय, फिरोजपुर के सभा कक्ष में 11:00 बजे पेंशन अदालत मंडल रेल प्रबंधक, फिरोजपुर की अध्यक्षता में लगाई जाएगी । कार्मिक एवं लेखा अधिकारी सहित संबंधित स्टाफ की उपस्थिति रहेगी ।

सभी सेवानिवृत्त रेल कर्मी निम्नलिखित विषयों संबंधी दावा प्रस्तुत कर सकते हैं :-

1.पेंशन /पारिवारिक पेंशन
2.ग्रेच्युटी
3.पेंशन का परिवर्तन मूल्य
4. छुट्टी अदायगी ।
5.सामूहिक बीमा योजना
6.भविष्य निधि

भूतपूर्व रेलकर्मी अपनी शिकायतें दो प्रतियों में संबंधित विषयों के दस्तावेजों के साथ दिनांक 31.10.2025 को सांय: 17:30 बजे तक वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, फिरोजपुर को भेज सकते हैं । आवेदन पत्र या लिफाफे पर पेंशन अदालत 2025 अवश्य लिखा हो । आवेदन

Scanned by CamScanner

प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 31.10.2025 को सांय:17:30 बजे के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर पेंशन अदालत में विचार नहीं किया जाएगा।

नोट :-

1.इस अदालत में किसी नीति संबंधित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.पूरी विधि संबंधित केस जैसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सब जुडीशियल इस अदालत में नहीं ले जा सकते हैं।

3.पेंशनर अपनी शिकायत स्वयं या पारिवारिक सदस्य के माध्यम से ही प्रस्तुत कर सकते हैं।

4.पिछली पेंशन अदालत में निपटाए गए केसों पर इस अदालत में पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

5.मंडल में कार्यरत सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि इस विशेष कार्यक्रम का जनता में व्यापक प्रचार करें।

6.सभी मुख्य हित निरीक्षक हित निरीक्षक इस विशेष कार्यक्रम का व्यापक प्रचार सफलतापूर्वक सुनिश्चित करें।

12.8.25

कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी,
उत्तर रेलवे, फिरोजपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित :-

1.महाप्रबंधक /कार्मिक,बड़ौदा हाउस,नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 720-ई /पेंशन अदालत /25/ई111/सेटलमेंट दिनांक 31.07.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ।

2.सभी शाखा अधिकारी,फिरोजपुर मंडल।

3.वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक/फिरोजपुर। वह कृपया निर्धारित समय के भीतर प्राथमिकता के आधार पर पेंशन अदालत की मदों को निपटाने के लिए एक विशेष टीम गठित करें तथा दिनांक 15.12.2025 को प्रात:11.00 बजे पेंशन अदालत को अटेंड करने के लिए मंडल वित्त,फिरोज़पुर को प्रबंधक को नामित करें।

4.सचिव/मंडल रेल प्रबंधक/फिरोजपुर को मंडल रेल प्रबंधक के सूचनार्थ।

5. सचिव/अपर मंडल रेल प्रबंधक/फिरोजपुर को अपर मंडल रेल प्रबंधक/फिरोज़पुर के सूचनार्थ।

Scanned by CamScanner

6.सचिव/अपर मंडल रेल प्रबंधक/जम्मूतवी को अपर मंडल रेल प्रबंधक/जम्मूतवी के सूचनार्थ ।

7.मंडल सचिव तथा अध्यक्ष / उत्तर रेलवे मैन्स यूनियन एवम उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन तथा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन/फिरोजपुर मंडल ।

8.सभी मुख्य कार्यालय अधीक्षक,कार्मिक शाखा,मंडल कार्यालय,फिरोज़पुर को पेंशन अदालत दावों के प्रचार -प्रसार हेतु ।

9. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/प्रेषण और प्राप्ति शाखा ।

10.कार्मिक शाखा,फिरोज़पुर के सभी कर्मचारियों को विशेष प्रसार तथा सभी प्राप्त मदों पर आवश्यक कारवाई हेतु ।

11.सभी सेवानिवृत्त पेंशनर्स एसोसिएशन,फिरोज़पुर मंडल ।

12.सभी मुख्य हित निरीक्षक,फिरोज़पुर मंडल ।

Scanned by CamScanner